

18.10.2022:—आज पत्रावली पेशी मे आई। वकील उभयपक्ष उपस्थित नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन / वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर

एवं उपखण्डाधिकारी

हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

